मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग **दिनांक: 22-07-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1273	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.587) दि. 22-07-2016 (श्रीमती ममता मीना,)	कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी में मण्डी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री रियाज अहमद खान के कार्यकाल में मण्डी को घाटे में पहुँचाने की उच्च स्तरीय जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	सारे तथ्य जब हमारे सामने आएंगे उसके बाद में हम कोई कार्यवाही करेंगे ।		
1274	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.1978) दि. 22-07-2016 (श्री देवेन्द्र वर्मा,)	खण्डवा जिले के थाना छैगावं माखान अंतर्गत अमानक बीज का भण्डारण करके टैग लगाने वाली बीज कंपनी के संचालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किये जाने के बाद उनकी शीघ्र गिरफ्तारी एवं विभागीय दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांचकर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जा रही है । (2) विभागीय जांच भी प्रारम्भ कर दी गई है । (3) उसमें कठोर कार्यवाही करेंगे ।		
1275	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.2245) दि. 22-07-2016 (श्री हर्ष यादव,)	अता.प्रश्न क्रमांक 4872 दिनांक 10 मार्च 2016 के संदर्भ में सागर जिले में बीज समितियों को दिये गये उत्पादन एवं वितरण अनुदान में की गई आर्थिक अनियमितता की विस्तृत जांच कराई जाना एवं प्रथम दृष्टया दोषी तत्कालीन उपसंचालक श्री एम.एन. चौहान को तत्काल निलंबित किया जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) आरोप पत्र के संबंध में अपचारी अधिकारी से प्राप्त बचाव उत्तर परीक्षणाधीन है । (2) हम इसकी विस्तृत जांच करा रहे हैं । जो भी जांच प्रतिवेदन की रिर्पोट आयेगी, उसके अनुसार कठोर से कठोर कार्यवाही हम करेंगे । (3) उपसंचालक एम एल चौहान को निलंबित किया जाता है, निलंबन के बाद जांच की जायेगी ।		
1276	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.54) दि. 22-07-2016 (श्री शंकर लाल तिवारी,)	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में वर्ष 2011 में सीधी भर्ती से चयनित/नवनियुक्त सहायक उपनिरीक्षक/लेखापाल/ सहा.लेखापाल की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाकर शीघ्र नियमित किया जाना ।	इस प्रक्रिया में सरलीकरण भी करेंगे और एक कार्ययोजना बना करके हम इनको नियमित करेंगे । अगस्त महीने तक हम आठ सहायक उप निरीक्षकों को नियमित कर देंगे और लेखापालों को 16 को, 08 को हमने कर दिया 08 को और कर देंगे ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1277	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.92) दि. 22-07-2016 (श्री हरवंश राठौर,)	सागर जिले के बण्डा/शाहगढ़ में रबी वर्ष 2015-16 के फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों की बीमा क्लेम राशि का भुगतान शीघ्र किया जाना।	रबी वर्ष 2015-16 के दावा राशि का आंकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1278	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.327) दि. 22-07-2016 (डॉ. कैलाश जाटव,)	कृषि उपज मंडी समिति कटनी के कर्मचारियों के विरूद्ध प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड भोपाल के पत्र दिनांक 16.11.15 एवं 11.4.16 के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) उपसंचालक आंचलिक कार्यालय जबलपुर में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (3) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (4) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1279	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.1911) दि. 22-07-2016 (कुँवर हजारीलाल दांगी,)	राजगढ़ जिले की कृषि उपज मण्डी समिति जीरापुर की पुरानी मण्डी परिसर में सब्जी मण्डी लगाने की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाना।	समिति की बैठक में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।		
1280	अतारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.161) दि. 22-07-2016 (कुँवर सौरभ सिंह,)	आंचलिक अपर संचालक मंडी बोर्ड भोपाल संभाग एंव आंचलिक संयुक्त संचालक उज्जैन एवं सागर संभाग के प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के निष्कर्षों के आधार पर मंडीवार मंडी फीस अपवंचन की वसूली की जाना एवं दोषी मंडी सचिवों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	**1. (परिशिष्ट बत्तीस अनुसार कंडिका 01 से 04) :-** (1) मण्डी समिति को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यवाही प्रचलन में है। (2) मण्डी समिति को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यवाही प्रचलन में है। (3) कार्यवाही प्रचलन में है। (4) कार्यवाही प्रचलन में है। **2.** शेष दो संभागों के उक्त जॉंचकर्ता अधिकारियों को प्रकरण अंतर्गत दोषिता का निर्धारण करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।		
1281	अतारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.326) दि. 22-07-2016 (श्री यादवेन्द्र सिंह,)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में बिना मंडी शुल्क जमा कराये अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जॉंच उपरांत ही प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (2) तथ्य का निराकरण जॉंच उपरांत ही हो सकेगा। बिना मंडी शुल्क जमा कराये अनुज्ञापत्र जारी करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1282	अतारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.596) दि. 22-07-2016 (श्रीमती ममता मीना,)	कृषि उपज मंडी समिति गुना में वर्ष 2007 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में दुकानें एवं गोदामों की नीलामी/ रजिस्ट्री किये जाने में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जॉंच दल गठित किया गया है। जॉंच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
1283	अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.1818) दि. 22-07-2016 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल,)	कटनी जिले में वर्ष 2014-15 में खरीफ एवं रबी सीजन में बीज वितरण में अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जॉंच कर गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

जन शिकायत निवारण विभाग **दिनांक: 22-07-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1284	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.2050) दि. 22-07-2016 (श्री आर.डी. प्रजापति,)	प्रश्नकर्ता मा.सदस्य द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में खनिज साधन, जल संसाधन आदि विभागों को लिखे गये शिकायती पत्रों की नियमानुसार संबंधित विभागों द्वारा अभिस्वीकृति नहीं दिए जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) अभिस्वीकृति नहीं दी है तो हम तत्काल उसकी जांच करा लेंगे। (2) अगर उन्हें नहीं मिली है तो मैं इसकी जांच के लिए तत्काल कहूंगा और इसकी जांच करा ली जाएगी।		
1285	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.371) दि. 22-07-2016 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल,)	इंदौर जिले की देपालपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में माह जनवरी 2015 से जुलाई 2015 तक की अवधि में प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	प्राप्त शिकायतों में से 17 शिकायतों के सम्बन्ध में जांच प्रचलित होकर कार्यवाही लंबित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग **दिनांक: 22-07-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1286	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1539) दि. 22-07-2016 (श्री मधु भगत,)	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर जिला धार में मुख्यमंत्री सड़क योजना 2015-16 के टेण्डर में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	(1) इसकी जांच करा लेंगे। (2) जांच करवा लेंगे।		
1287	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.153) दि. 22-07-2016 (कुँवर सौरभ सिंह,)	जिला कटनी विकासखंड बहोरीबंद के ग्राम पंचायत बड़खेड़ा नीम में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत नियम विरूद्ध अपात्र हितग्राहियों को आवास कुटीर स्वीकृत किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जांच करा लेंगे।		
1288	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.2183) दि. 22-07-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान,)	ग्राम पंचायत पेटलावद जिला उज्जैन में माह जनवरी 2010 से माह दिसम्बर 2014 की अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्य अनुबंध अनुसार समय-सीमा में पूर्ण न किया जाना एवं गुणवत्ताहीन कार्य कराये जाने की जांच निश्चित समय-सीमा में कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण कर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (2) बिल्कुल न्यायपूर्वक कार्यवाही करेंगे और प्रभावी कार्यवाही कर देंगे जैसी माननीय सदस्य चाहेंगे। (3) जांच रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी उस प्रतिवेदन में होगा, उसी दिन कार्यवाही कर दी जायेगी। (4) यदि उसमें अपवंचन प्रभक्षण पाया जायेगा तो पुलिस की कार्यवाही भी करेंगे।		
1289	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.1847) दि. 22-07-2016 (श्री लाखन सिंह यादव,)	ग्वालियर जिले की भितरवार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ए.बी. रोड नयागांव से चीनोर, चीनोर से करईयां एवं करईयां से भितरवार मार्ग जो कि पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत है को लोक निर्माण को शीघ्र हस्तांतरण किया जाना।	पी.डब्ल्यू.डी मंत्री से व्यक्तिगत चर्चा करके आज ही कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको शामिल कर लिया जाये।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1290	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.2244) दि. 22-07-2016 (श्री नारायण त्रिपाठी,)	(1) कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा दिनांक 13.6.16 को जिला पंचायत राजगढ़ के पूर्व लेखाधिकारी (मनरेगा) की संविदा सेवा समाप्ति के पश्चात् वसूली योग्य राशि की वसूली की जाना। (2) संविदा सहायक लेखाधिकारी (मनरेगा) गंजबासोदा जिला विदिशा द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त किये जाने एवं रायसेन में पदस्थापना के दौरान फर्जी यात्रा देयक प्राप्त करने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। (2) प्रतिवेदन संबंधित सक्षम अधिकारी को संविदा के नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। (3) जिला पंचायत रायसेन द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।		
1291	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्रं.1067) दि. 22-07-2016 (श्री सुखेन्द्र सिंह,)	रीवा जिले में बी.आर.जी.एफ. योजना में अनियमितता किये जाने की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है। (2) विस्तृत जॉंच के लिए जांच दल गठित किये जाने के निर्देश दिए गये हैं। जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर विधि संगत कार्यवाही की जायेगी।		
1292	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.1400) दि. 22-07-2016 (श्री सुन्दरलाल तिवारी,)	परि.अता.प्र.सं. 46 (क्र.3955) दिनांक 17.3.16 के संदर्भ में रीवा जिले की जनपद पंचायतों को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार शिकायतों की विस्तृत जांच कराकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जॉंच हेतु दल गठित कर जॉंच प्रतिवेदन चाहा गया है। (2) जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
1293	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.83 (प्रश्न क्रं.1641) दि. 22-07-2016 (श्री गिरीश गौतम,)	जिला पंचायत रीवा द्वारा बी.आर.जी.एफ. फण्ड की जारी राशि में की गई आर्थिक अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही शीघ्र की जाना।	प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1294	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.86 (प्रश्न क्रं.1659) दि. 22-07-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह,)	भिण्ड जिले की लहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की शीघ्र जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार को प्रकरण भेजे गये हैं एवं ग्राम पंचायत पुराभीमनगर की जॉंच कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भिण्ड द्वारा कराई जा रही है। (2) विस्तृत जॉंच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम रोजगार सहायक/सरपंच/सचिव के विरूद्ध नियमानुसार विधि अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। (3) जॉंच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (4) जॉंच रिपोर्ट अप्राप्त है, रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (5) जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
1295	अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.1404) दि. 22-07-2016 (श्री सुन्दरलाल तिवारी,)	अता.प्र.सं. 83 (क्रमांक 4915) दिनांक 17.3.16 के परिप्रेक्ष्य में गठित जांच समिति के प्राप्त जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जॉंच प्रक्रियाधीन है। जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		
1296	अतारांकित प्रश्न सं.90 (प्रश्न क्रं.1679) दि. 22-07-2016 (श्री मुरलीधर पाटीदार,)	आगर जिले की तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सुसनेर श्रीमती माधुरी शर्मा द्वारा परफारमेंस ग्रांट योजना राशि के दुरूपयोग किये जाने की जांच में पुष्टि हो जाने के बाद उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जी हाँ। जॉंच उपरांत गुणदोष के आधार पर विधि अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जावेगी।		
1297	अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.1872) दि. 22-07-2016 (श्री महेन्द्र सिंह,)	वर्ष 2011 से 2013 तक की अवधि में जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना में तत्कालीन पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओ.पी. अस्थाना के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	दिनांक 14.01.2016 से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1298	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.315) दि. 22-07-2016 (श्री बाला बच्चन,)	बड़वानी जिले में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत हरणगांव एवं राखी पुल कोड़िया पुल का स्वीकृत अपूर्ण निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	(1) हम किसी दूसरी योजना के अंतर्गत या फिर हम किसी दूसरी मद से इसे व्यवस्थित करके और बनवाने की कोशिश करेंगे। (2) जो भी अपूर्ण कार्य हैं, हम किसी न किसी योजना के अंतर्गत उन्हें करवाने का काम करेंगे। (3) पीडब्ल्यूडी मंत्री और भी संबंधित मंत्री, मैं भी अपने विभाग के बजट से और देखूंगा कि यदि व्यवस्था हो सकती है। लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि जो रूके हुए काम हैं, उनको पूर्ण किया जाएगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग **दिनांक: 22-07-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1299	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.1052) दि. 22-07-2016 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा,)	ग्राम रकेरा, तहसील-जौरा जिला मुरैना सहित समुचे प्रदेश में भू-दान बोर्ड द्वारा पट्टों पर दी गई भूमि को वन विभाग द्वारा वन भूमि दर्शित कर पट्टेधारियों को बेदखल करने से राजस्व एवं वन विभाग के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति की जांच अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त कमेटी से कराई जाकर विवादित मामलों को निश्चित समय सीमा में निराकरण किया जाना एवं जांच अवधि में ग्राम रकेरा सहित समूचे प्रदेश में काबिज किसानों को बेदखल नहीं किया जाना।	(1) एसीएस रेवेन्यू और एसीएस फारेस्ट की एक कमेटी में आज घोषित कर रहा हूं। ये समिति 06 महीने के अन्दर ऐसे सारे मामलों का नियमानुसार किसानों के हित में जो भी किया जा सकता है वह हम करेंगे। (2) लेकिन इस सब की जांच कराने के लिए मैंने कमेटी बनाई है लेकिन जौरा के प्रकरण का प्राथमिकता पर निराकरण करेंगे। (3) अगर वहां खेती हो रही होगी तो उसे नहीं रोका जाएगा यह मैं आपको बताता हूँ।		
1300	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.1066) दि. 22-07-2016 (श्री सुखेन्द्र सिंह,)	रीवा जिले की मऊगंज एवं हनुमना तहसील अंतर्गत शासकीय भूमि पर काबिजों को आवास हेतु अधिकार पत्र दिया जाना।	(1) परीक्षणाधीन है। (2) 30 सितम्बर 2016 तक अधिकार पत्र प्रदान किये जायेंगे।		
1301	अतारांकित प्रश्न सं.114 (प्रश्न क्रं.1917) दि. 22-07-2016 (श्री आरिफ अकील,)	श्री राकेश सिंह, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक भोपाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक राकेश सिंह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक वर्तमान में नायब तहसीलदार जिला बैतूल के विरूद्ध विभागीय जाँच आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को प्रस्तावित की गई है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्यिक कर विभाग **दिनांक: 22-07-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1302	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.58) दि. 22-07-2016 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य),)	प्रदेश में म.प्र. बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत पुनरीक्षण नियम 2000 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों में अचल संपत्ति के विक्रय की दरें वृद्धि हेतु जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों को नियमानुसार बुलाया जाना।	(1) मैं पता करूंगा कि इन्दौर की जो बैठक हुई थी उसमें वहाँ जनप्रतिनिधि को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। (2) इसका हम परीक्षण करा लेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग **दिनांक: 22-07-2016**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1303	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.439) दि. 22-07-2016 (श्री मुकेश नायक,)	विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गोरमी, जिला भिण्ड का पंजीयन किये जाने के पूर्व पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. द्वारा जारी मापदण्ड एवं निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन कर नियम विरूद्ध पंजीयन किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही जॉंच के निष्कर्षो के अधीन।		
1304	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.1053) दि. 22-07-2016 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा,)	उपायुक्त सहकारिता जिला भिण्ड श्री भारत सिंह चौहान द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच समय सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) प्रतिवेदन अपेक्षित है। (2) शिकायतों की जॉंच प्रक्रियाधीन है।		
1305	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.151 (प्रश्न क्रं.2261) दि. 22-07-2016 (श्री राजेश सोनकर,)	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 622 दिनांक 2.3.2016 के परिप्रेक्ष्य में बंद शक्कर मिल बरलाई के कर्मचारियों के लंबित वेतन/स्वत्वों तथा कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1306	अतारांकित प्रश्न सं.134 (प्रश्न क्रं.2186) दि. 22-07-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान,)	जिला उज्जैन की महिदपुर विधान सभा क्षेत्र की बैजनाथ सेवा सहकारी समिति की कराई गई जांच में गेहूँ उपार्जन राशि, उर्वरक, ऋण वितरण आदि में अनियमितता किये जाने पर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जॉंच अधिकारी को पुन: स्पष्ट प्रतिवेदन देने हेतु लिखा गया है। शेष जॉंच निष्कर्षाधीन। (2) प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।		